

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F. 2-16/2026- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
Ansari Nagar, New Delhi-110029

दिनांक/Dated

11 SEP 2026

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में फार्मसी अधिकारी (पूर्ववर्ती फार्मसिस्ट ग्रेड-I) के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Pharmacy Officer (Erstwhile Pharmacist Grade-I) at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 05.08.2026 को फार्मसी अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित फार्मसिस्ट को पदभार ग्रहण करने की तिथि से फार्मसी अधिकारी वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -6 (पूर्व संशोधित पी.बी.-2, रू. 9300-34800 + ग्रेड पे.रू.4200/-) पर पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Pharmacy Officer held on 05.08.2026 and its acceptance by the Competent Authority, the following Pharmacist is promoted to the post of Pharmacy Officer in Level-6 of the pay matrix (pre-revised PB-2 Rs. 9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4200) from the date she assumes the charge of the post of Pharmacy Officer:-

Sr. No.	Name of Employee	Category	Considered against the category	Department
01	Ms. Saroj Diwan	UR	UR	Hospital

इनकी वरिष्ठता फार्मसी अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात 05.08.2026 से प्रभावी होगी।

Her seniority in the post of Pharmacy Officer will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 05.08.2026.

वह दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई. झज्जर,बादसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabhgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad/NCI, Jhajjar and Badsa Jhajjar and at any other Centre opened by the Institute in future.

उन्हे यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हे आंशोदित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

Cont. on -2-



She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22 (1), if applicable, either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided she has not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाढसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

Her services is transferable to the other centre facilities presently located at Ballabgarh (haryana), National drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. She can be asked to perform duties in shifts also.

वे दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा पर रहेंगी। परीक्षा अवधि के दौरान, उनसे संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना नोटिस, दिए अथवाबिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

She will be on probation for a period of two years. During the period of probation, she will be required to put in satisfactory services failing which her services can be terminated at any time without any notice or reason being assigned for the same

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामले के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of his service will be the same as are applicable to other employees of the Institute



(राज कुमार भोला / RAJ KUMAR BHOLA)
प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

Ms. Saroj Diwan
Pharmacist, Hospital, LP Cell
द्वारा/Thr.:- प्रशासनिक अधिकारी- हॉस्पिटल
Administrative Officer-Hospital

प्रतिलिपि:

- 1 चिकित्सा अधीक्षक- (अस्पताल) /Medical Superintendent, Hospital
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी- (अस्पताल) – The Officer In-charge - Hospital
- 3 प्रशासनिक अधिकारी- अस्प.-Administrative Officer- Hospital
- 4 स्थापना अनुभाग - हॉस्पिटल - Establishment Section - Hospital
- 5 लेखा विभाग/ Accounts Section, II/III
- 6 ए.सी.आर सेल/ एस.सी./एस.टी विभाग / सतर्कता विभाग
ACR Cell/ SC/ST Cell/Vigilance Cell
- 7 प्रो. इन्चार्ज- कम्प्यूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website